

प्रश्न क्रमांक 1659

बंद विधि महाविद्यालयों में पदस्थ शैक्षणिक अधिकारी की सूची:-

सं. क्र.	महाविद्यालय का नाम	क्र.	सहायक प्राध्यापक का नाम
1	शासकीय विधि महाविद्यालय,भिण्ड	1	राखी जैन
2.	शासकीय विधि महाविद्यालय,शिवपुरी	1	महेश प्रसाद
		2	ज्योति दिवाकर
		3	देवेन्द्र दर्वर्ग
		4	विवेक कुमार सिंह
3.	शासकीय विधि महाविद्यालय,राजगढ़	1	रमेश जमरा
		2	दिग्विजय सिंह मंडलोई
		3	पप्पूसिंह रावत
		4	आशुतोष सिंह
4.	शासकीय विधि महाविद्यालय, होशंगाबाद	1	राजदीप सिंह भदौरिया
		2	तरुण कुमार
		3	शिवाकान्त भौर्य
		4	विकास कुमार सिंह
		5	कल्पना भारद्वाज
5.	शासकीय विधि महाविद्यालय, नरसिंहपुर	1	सतीश कुमा बैस
		2	समीर कुमार भैसारे
		3	संदीप नागोत्रा
		4	डॉ. चेतना उपाध्याय
6.	शासकीय विधि महाविद्यालय,बालाघाट	1	राहुल सोनी
		2	तृप्ति सोनी

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा,भोपाल

12.3.20

P.H.C.D.L. 02
21/12/2019

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
महाविद्यालय, भीषण

1010
21/12/2019
01

आदेश

भोपाल, दिनांक 20/12/2019

क्रमांक एक 1-86/2019/38/1 : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विधि विषय में घटनित महायक पाठ्यापकों के सबैध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त सहायक पाठ्यापकों में आगामी अन्य आदेश तक निम्न सौरिणी के कॉलम-03 में उल्लेखित महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कराये जावे।

क्र.	नाम विधि महाविद्यालय जहाँ पटस्थापना की गई	महाविद्यालय जहाँ अध्यापन कार्य करने हेतु सेवाएँ देंगे।
1	2	3
1	शासकीय महाविद्यालय, होशंगाबाद	शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय होशंगाबाद
2	शासकीय महाविद्यालय, राजगढ़	शासकीय महाविद्यालय, राजगढ़
3	शासकीय महाविद्यालय, भिण्ड	शासकीय एम.जे.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड
4	शासकीय महाविद्यालय, बालाघाट	शासकीय जटाशंकर विवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालाघाट
5.	शासकीय महाविद्यालय, शिवपुरी	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी
6.	शासकीय महाविद्यालय, नरसिंहपुर,	स्वामी विवेकानन्द शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर
7.	शासकीय महाविद्यालय, गुना	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना

अत उपरोक्त कॉलम-03 के महाविद्यालयों के प्राचार्य विधि विषय में को 3-2 में उल्लेखित महाविद्यालयों के लिए पदस्थ सहायक पाठ्यापकों की उपस्थिति कराई जाकर पोर्टल पर उनकी कार्यभार गहण की रिपोर्ट दर्ज करेंगे तथा नवनियुक्त सहायक पाठ्यापकों के सेवा अभिलेखों का संपारण एवं संत्यापन करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

मंजील बागर जैन ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 20/12/2019